

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री अखिलेशपति त्रिपाठी

दिनांक : 30.07.2021

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 89

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	मॉडल टाउन क्षेत्र के वार्ड संख्या- 76, 77, 78 के अन्तर्गत अनियमित भवन निर्माण को नियमित करने से कितना राजस्व प्राप्त हुआ,	उत्तरी दिल्ली नगर निगम :- (केशव पुरम जोन का गठन 01.09.2017 से किया गया) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 766, 77, 78 के अंतर्गत अनियमित भवन निर्माण को नियमित करने से (01.09.2017 से 23.07.2021 तक) 3,84,64,846/- राजस्व प्राप्त हुआ।
ख	इन अनियमित भवनों को नियमित करने की क्या प्रक्रिया है, इन्हें किस हद तक नियमित किया जा सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये,	उत्तरी दिल्ली नगर निगम :- भवन के अवैध निर्माण को UBBL-2016 तथा MPD-2021 के नियमों के अंतर्गत नियमित किया जाता है। अवैध निर्माण को UBBL-2016 के Annexure -IV के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित किया जाता है।
ग	वार्ड संख्या- 76, 77, 78 के अन्तर्गत अभी तक कितने भवन बुक किये गये, कितने सील किये गये हैं, कितने डेमोलिशन किये गये हैं और कितने पूर्णतः डेमोलिशन किये गये हैं, इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये,	उत्तरी दिल्ली नगर निगम :- वार्ड संख्या 76, 77, 78 के अंतर्गत अभी 22.07.2021 तक 452 भवन बुक किए गए हैं, 15 सील किए गए हैं 272 डेमोलिशन किए गए हैं पूर्णतः डेमोलिशन की अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है।
घ	क्या किसी रिहाईसी बिल्डिंग का कन्वर्जन चार्ज जमा करने पर उस को कॉमर्शियल बिल्डिंग घोषित किया जा सकता है, और	उत्तरी दिल्ली नगर निगम :- (घ) एवं (ङ) :-मास्टर प्लान 2021 के Chapter 15 के अनुसार, जो रिहायशी भवन Notified (Commercial/Mixed land use/Pedestrian street) Road पर स्थित है, उनका व्यवसायिक प्रयोग कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज इत्यादि जमा करने के पश्चात किया जा सकता है। लेकिन भवन का land use रिहायशी ही रहता है।
ड	यदि हाँ, तो अभी तक ऐसी कितनी रिहाईसी बिल्डिंग को कॉमर्शियल बिल्डिंग घोषित किया गया है, इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये ?	

Deputy Secretary (Admn.)
Urban Development Deptt.
Govt. of N.C.T. of Delhi
9th Level, Delhi Sectt.
New Delhi-110002